

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना बिलरियागंज

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 07.04.2024 को वादिनी मुकदमा थाना जीयनपुर आजमगढ़ हाल पता थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ने थाना बिलरियागंज पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी चमन सोनकर पुत्र अनील सोनकर निवासी नया चौक भीमबर रोड बिलरियागंज आजमगढ़ द्वारा वादिनी/पीड़िता को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर वादिनी के साथ शारिरिक सम्बन्ध बनाया गया, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 103/24 धारा 376/323/504/506 भादवि बनाम चमन सोनकर पुत्र अनील सोनकर निवासी नया चौक भीमबर रोड बिलरियागंज आजमगढ़ के पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 योगेन्द्र प्रसाद द्वारा किया जा रहा है।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक- 10.04.2024 को उ0नि0 योगेन्द्र प्रसाद मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त चमन सोनकर पुत्र अनिल सोनकर निवासी नया चौक भीमबर रोड कस्बा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को अभियुक्त के घर नया चौक भीमबर रोड कस्बा से समय करीब सुबह 11.20 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-मु0अ0सं0 103/2024 धारा 376, 323, 504, 506 भादवि थाना बिलरियागंज आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. चमन सोनकर उर्फ कमल पुत्र अनिल सोनकर निवासी नया चौक भीमबर रोड कस्बा व थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-उ0नि0 योगेन्द्र प्रसाद मय हमराह थाना बिलरियागंज आजमगढ़।

थाना- महाराजगंज

अपहरण के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 05.11.23 को वादी मुकदमा थाना महाराजगंज आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया कि विपक्षी हरेन्द्र चौहान पुत्र रामदरश चौहान निवासी बीबीपुर थाना महाराजगंज जिला आजमगढ़ द्वारा वादी की बहन उम्र -16 वर्ष को बहला फुसलाकर भगा ले गया है, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 345/23 धारा 363/366 बनाम हरेन्द्र चौहान पुत्र रामदरश चौहान निवासी बीबीपुर थाना महाराजगंज जिला आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

दिनांक 09.04.2024 को व0उ0नि0 दल प्रताप सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त हरेन्द्र चौहान पुत्र रामदरश चौहान निवासी बीबीपुर थाना महाराजगंज जिला आजमगढ़ को नया चौक से आगे राजेसुलतानपुर रोड मोड़ के पास से समय करीब 18.05 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. हरेन्द्र चौहान पुत्र रामदरश चौहान निवासी बीबीपुर थाना महाराजगंज जिला आजमगढ़ उम्र 21 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-मु0अ0सं0 345/23 धारा 363/366 भादवि थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मु0अ0सं0 345/23 धारा 363/366 भादवि थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम -व0उ0नि0 दल प्रताप सिंह मय हमराह प्रशिक्षु उ0नि0 अमित कुमार तिवारी थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

थाना जहानागंज

चोरी गये मोबाइल व अवैध असलहा कारतूस के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण –

दिनांक 09.04.2024 को वादी मनोज सरोज पुत्र स्व0 बदरी सरोज साकिन अकबेलपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ में थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया कि दिनांक 29.03.2024 को समय करीब 21.00 बजे खुद के घर के सामने चण्डेशर से पीजीआई जाने वाले रास्ते पर सड़क पार करते समय खुद की मोबाईल, जो सड़क पर गिर गया जिसे पीछे से एक मोटरसाइकिल पर आते हुए 02 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मोबाईल उठा लेना, मोबाईल मांगने पर हाथ में लिये कोई सामान दिखाते हुये धमकाते हुये भाग गया, के सम्बन्ध में थाना जहानागंज पर मु0अ0सं0-155/2024 धारा 382/506 भादवि बनाम 02 व्यक्ति नाम व पता अज्ञात पंजीकृत विवेचना प्रारम्भ की गयी। विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त 1. सुभम सिंह पुत्र धर्मेन्द्र सिंह निवासी ग्राम गम्भीरबन थाना जहानागंज उम्र 22 वर्ष, 2. मुकेश सिंह पुत्र बाबूराम सिंह निवासी दयालापुर गम्भीरबन थाना जहानागंज उम्र 20 वर्ष का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण–

दिनांक 10.04.2024 को उ0नि0 बेचू प्रसाद यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. सुभम सिंह पुत्र धर्मेन्द्र सिंह निवासी ग्राम गम्भीरबन थाना जहानागंज उम्र 22 वर्ष, 2. मुकेश सिंह पुत्र बाबूराम सिंह निवासी दयालापुर गम्भीरबन थाना जहानागंज उम्र 20 वर्ष को चोरी गये मोबाइल व अवैध असलहा कारतूस के साथ करनपुर नहर पुलिया के पास से समय 6.30 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया।

मोबाइल बरामदगी के आधार पर 411 भादवि की बढोत्तरी की गयी है तथा अभियुक्तगण के पास से अदद देशी तमन्चा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 156/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम सुभम सिंह पुत्र धर्मेन्द्र सिंह निवासी ग्राम गम्भीरबन थाना जहानागंज पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग –

1. मु0अ0सं0-155/2024 धारा 382/506/411 भादवि थाना जहानागंज
 2. मु0अ0सं0 156/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
- आपराधिक इतिहास – मुकदमा उपरोक्त

बरामदगी –

- 1- एक अदद देशी तमन्चा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 2- 01 अदद मोबाईल सैमसंग

गिरफ्तार अभियुक्त -

- 1-सुभम सिंह पुत्र धर्मेन्द्र सिंह निवासी ग्राम गम्भीरबन थाना जहानागंज उम्र 22 वर्ष,
- 2-मुकेश सिंह पुत्र बाबूराम सिंह निवासी दयालापुर गम्भीरबन थाना जहानागंज उम्र 20 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. उ0नि0 बेचू प्रसाद यादव थाना जहानागंज आजमगढ़
2. उ0न0 मदन कुमार गुप्ता थाना जहानागंज आजमगढ़
3. हे0का0 विपिन सिंह थाना जहानागंज आजमगढ़
4. का0 टार्जन गोड थाना जहानागंज आजमगढ़

थाना बिलरियागंज

चोरी गये लोहे की प्लेट के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-दिनांक- 09.04.2024 को वादी मुकदमा अभिषेक पासवान पुत्र शिवबदन निवासी ग्राम पटवध कौतुक थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ने थाना बिलरियागंज पर लिखित तहरीर दिया कि अज्ञात चोरो द्वारा पटवध पुल निर्माण मे सेटिंग हेतु प्रयोग की जाने वाली लोहे की 03 प्लेट को चुरा ले जाने दुबारा मोटर साइकिल नं0 UP 50 AH 3889 से चोरी करने आने पर चोरो द्वारा लोहे की प्लेट व मोटर साइकिल छोड़कर भाग गये है, के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 107/2024 धारा 380 भादवि बनाम मो0सा0 नं0 UP 50 AH 3889 के चालक 02 अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया था।

मुकदमा उपरोक्त में विवेचना के दौरान अभियुक्त 1.आशीष यादव पुत्र रामनाथ यादव निवासी श्रीनगर सियरहा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ 2.कृष्णा यादव पुत्र शामू यादव निवासी श्रीनगर सियरहा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया तथा बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 411 भा0द0वि0 की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण:-दिनांक- 10.02.2024 को उ0नि0 अनुज कुमार पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1.आशीष यादव पुत्र रामनाथ यादव निवासी श्रीनगर सियरहा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ 2.कृष्णा यादव पुत्र शामू यादव निवासी श्रीनगर सियरहा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को चोरी गये लोहे की 02 प्लेट को के साथ श्रीनगर सियरहा पुर्वांचल एक्सप्रेसवे स्थित श्रीनगर सियरहा अण्डर पास सर्विसलेन के पास से समय करीब 10.20 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. आशीष यादव पुत्र रामनाथ यादव निवासी श्रीनगर सियरहा थाना बिलरियागंज आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष।
2. कृष्णा यादव पुत्र शामू यादव निवासी श्रीनगर सियरहा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष।

बरामदगी- दो अदद लोहे का प्लेट।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 107/24 धारा 380/411 भादवि थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम- उ0नि0 श्री अनुज पाण्डेय मय हमराह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 04 वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना रानी की सराय: आत्महत्या दुष्प्रेरण के मामले में 01 आरोपी अभियुक्त को 04 वर्ष के सश्रम कारावास व 05 हजार रूपये जुर्माना

➡ दिनांक-26.05.2005 को वादिनी मुकदमा राधिका देवी के लिखित तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-169सी/2005 धारा 498ए/306 भादवि बनाम योगेन्द्र यादव पुत्र स्व0 गिरधारी यादव नि0 खैरा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया था।

➡ उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त को गिरफ्तार कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ जिसके क्रम में आज दिनांक- 10.04.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0- 05 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त योगेन्द्र यादव पुत्र स्व0 गिरधारी यादव नि0 खैरा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को धारा 498ए में दोषमुक्त एवं धारा 306 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 04 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।